



Ref.: MD/3/JSR/103
Dated : June 22, 2020

सकुलर: रिश्वत और भ्रष्टाचार निरोधक नीति

सामान्य दिशानिर्देश – यह रिश्वत और भ्रष्टाचार निरोधक (ABAC) नीति हमारी कंपनी पर लागू है। हमारी कंपनी अपने भारतीय सहायक और संयुक्त उपक्रमों के बोर्डों को इस रिश्वत और भ्रष्टाचार निरोधक (ABAC) नीति को अपनाने की सिफारिश करेगी। विभिन्न देशों में रिश्वत और भ्रष्टाचार पर अलग-अलग कानून हो सकते हैं और इसलिए कंपनी की विदेशी सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम उन नीतियों को अपना सकते हैं, जो उन अधिकार क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक हैं और जो उनके संबंधित बोर्डों द्वारा सुझाये गए और अनुशंसित हो।

1. हम रिश्वत और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रासंगिक सभी कानूनों को लागू करते हैं, जो हमारे कारोबार के आचरण में उन सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं, जहां हम संचालन करते हैं, जहां भी यह लागू होता है, यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट ("एफसीपीए"), यूके ब्राइबरी एक्ट ("यूकेबीए"), भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 ("पीसीए"). अलग-अलग कानून अलग-अलग मापदंड अपनाते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कोई विशेष कार्य या चूक एक अपराध है या नहीं, इस प्रकार, एक अधिनियम एक कानून के तहत अपराध हो सकता है, लेकिन दूसरे के तहत नहीं। एफसीपीए कंपनियों या व्यक्तियों के लिए गैर-अमेरिकी देशों में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने या कारोबार को बनाए रखने या अनुचित व्यावसायिक लाभ को सुरक्षित रखने के लिए इसे एक संघीय अपराध बनाता है।

एफसीपीए को सटीक खाता और रिकॉर्ड रखने के लिए और आंतरिक वित्तीय और लेखा नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए सार्वजनिक कंपनियों या जारीकर्ताओं (यू.एस. और गैर-अमेरिकी कंपनियों) की भी आवश्यकता होती है जो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का कारोबार करती हैं। यूकेबीए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में रिश्वतखोरी को प्रतिबंधित करता है। पीसीए के तहत, सरकारी अधिकारियों और एजेंटों को रिश्वत, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित है।

2. भारत में भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम 2018 को अधिनियमित करने के लिए शुरू किए गए आसन्न संशोधनों पर ध्यान देना भी उचित होगा, जिनका उद्देश्य पीसीए के विधायी ढांचे को मजबूत करना है और इसमें शामिल है:

i) रिश्वत की "आपूर्ति" पक्ष (यानी रिश्वत देना) इसे पीसीए के तहत एक ठोस अपराध मानकर कवर किया गया,

ii) यह कानून, एक निगम/ भागीदारी द्वारा प्रत्यक्ष रिश्वत के साथ-साथ एक तृतीय पक्ष के माध्यम से रिश्वतखोरी, दोनों को शामिल करता है, तथा

iii) एक कंपनी को पीसीए के तहत एक अपराधी के रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि कंपनी के साथ 'जुड़ा' कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है। हालांकि, एक कंपनी यह साबित करके खुद का बचाव करने में सक्षम होगी कि उसके पास इस तरह के आचरण को करने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं (जैसे कि एक मजबूत एबीएसी कार्यक्रम) हैं,

iv) प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जिनकी सहमति या मिलीभगत से अपराध किया गया था, उन्हें पीसीए के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

3. पीसीए के अलावा, भारत में निम्नलिखित कानून वर्तमान में भी भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी से संबंधित या उसके परिणामस्वरूप हुए अपराधों पर और भ्रष्टाचार तथा रिश्वत के मामले में उपलब्ध प्रस्तावों पर लागू होते हैं:

i) भारतीय दंड संहिता, 1860 ("IPC");

ii) मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, 2002;

iii) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003;

iv) विभिन्न राज्यों के लोकायुक्त अधिनियम।

II. नीति विवरण और उद्देश्य –

1) इस रिश्वत और भ्रष्टाचार निरोधक नीति ("ABAC नीति") का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टीआरएफ और उसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उपक्रम, दुनिया के किसी भी हिस्से में लागू कानूनों, उच्चतम नैतिक मानकों के अनुरूप अपने परिचालन और व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करें और, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का पता लगाना और रोकथाम सुनिश्चित करें।

2) इस ABAC नीति के दिशानिर्देश टाटा आचार संहिता 2015 ("TCOC 2015") के पूरक हैं और इन्हें निम्नलिखित के लिए संयोजन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए:

i) टीसीओसी 2015;

ii) व्हिसल ब्लोअर नीति;

iii) एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी;

iv) उपहार और आतिथ्य नीति;

v) इस नीति के अनुसार प्रकाशित कोई मार्गदर्शन; तथा

vi) समय-समय पर लागू की जा सकने वाली अन्य प्रासंगिक नीतियां।

III. दायरा और प्रायोजकता

1. यह एबीएसी नीति सभी स्तरों और ग्रेड पर काम करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, जिसमें निदेशक, वरिष्ठ अधिकारीगण, वरिष्ठ प्रबंधक, अधिकारी, कर्मचारी (चाहे स्थायी, निश्चित समय के लिए या अस्थायी), कंसलटेंट, ठेकेदार, प्रशिक्षु, शिशिक्षु, प्रतिनियुक्त कर्मचारी, आम मजदूर और एजेंसी के कर्मचारी, एजेंट, बिजनेस पार्टनर, सेवा प्रदाता, प्रोफेशनल एसोसिएट और ऐसे अन्य प्रासंगिक व्यक्ति, टीआरएफ से जुड़ी थर्ड पार्टी और कंपनी, जिनमें टीआरएफ की ओर से कार्य करने वाले लोग शामिल हैं, संयुक्त उद्यम जिसमें टीआरएफ एक शेयरधारक है, विदेशी सहायक और सहयोगी कंपनियां और जैसा कि अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स कॉउंसिलर एवं विजिलेंस द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है (उपरोक्त सभी को सामूहिक रूप से "टीआरएफ कार्मिक" के रूप में जाना जाता है)।

2. इस ABAC नीति के अनुसार टीआरएफ कर्मी को संदिग्ध लेन देन, व्यवहार या आचरण को पहचानने और ऐसे व्यवहार या आचरण से निपटने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड, अनुपालन और पालन करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होती है।

3. यह नीति परिचालन और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में थर्ड पार्टी, किसी भी व्यक्ति, या सहयोगियों, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, एजेंटों के ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत और अन्य भ्रष्ट व्यावसायिक प्रथाओं की रोकथाम, निवारकता, का पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं स्थापित करने में टीआरएफ कर्मी की सहायता करने के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करती है।

4. इनमें व्यवसाय को प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए, या अनुचित व्यावसायिक लाभ, लाइसेंस या परमिट सुरक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित भुगतान, उपहार या प्रलोभन शामिल हो सकते हैं।

5. रिश्वत और भ्रष्टाचार के कई रूप हो सकते हैं जिसमें शामिल है, किसी व्यक्ति या परिवार के सदस्यों या सहयोगियों, बढ़ाये गए कमीशन, नकली परामर्श समझौते, अनधिकृत छूट, गैर-मौद्रिक समर्थन और झूठे राजनीतिक या धर्मार्थ दान के लिए नकद या उपहार। ये कार्रवाई किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य के लाभ के लिए सीधे या किसी तृतीय पक्ष के माध्यम से की जा सकती है।

6. रिश्वत की पेशकश या रिश्वत देना, रिश्वत, भुगतान की सुविधा या भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल होना, चाहे यह अनजाने में भागीदारी की गई हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गैरकानूनी और अनैतिक है।

7. प्रत्येक टीआरएफ कंपनी, एक संयुक्त उद्यम सहित, जिसमें टीआरएफ एक पार्टी है, को अपने व्यवसाय के संचालन में, लागू सभी कानूनों, घरेलू और विदेशी, का अनुपालन करना चाहिए।

8. अधिकांश देशों के पास रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए अपने स्वयं के कानून हैं, जो शायद इन अधिकार क्षेत्रों में हमारे व्यवसाय के संचालन में, या इनमें या अन्य अधिकार क्षेत्रों में पार्टियों, एजेंसियों या नियामकों के साथ लागू होते हैं।

9. अलग-अलग क्षेत्राधिकार यह निर्धारित करने के लिए अलग-अलग मापदण्ड को अपनाते हैं कि क्या कोई विशेष अधिनियम या चूक एक अपराध है या नहीं और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय और लेखा नियंत्रण, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित करता है।

10. जब लागू स्थानीय कानून इस नीति की तुलना में सख्त हैं, तो ऐसे कानूनों का अनुपालन होना चाहिए। किसी भी संदेह के मामले में, टीआरएफ कर्मी को अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस से संपर्क करना चाहिए।

11. टीआरएफ कार्मियों का दायित्व है कि वे इस एबीएसी नीति का पालन करें, और सुनिश्चित करें कि एबीएसी जोखिमों और खतरों से निपटने के लिए हमारी कंपनी की प्रक्रिया और उपायों को बरकरार रखा गया है और उन्हें मजबूत बनाया गया है। यदि संदेह है कि क्या कोई अधिनियम इस एबीएसी नीति का उल्लंघन करेगा, टीआरएफ कार्मियों को एक कदम वापस लौटना चाहिए और विचारपूर्वक इस कार्रवाई पर अपने आप से सवाल करना चाहिये:

i) इसके पीछे मंशा क्या है – क्या यह संबंध बनाने के लिए है या यह कुछ और है?

ii) यदि ये विवरण सोशल मीडिया / पब्लिक डोमेन पर आ गए तो कैसा लगेगा?

iii) अगर स्थिति उलट गई तो क्या होगा – क्या कोई दोहरा मापदंड होगा?

12. जब भी इस एबीएसी नीति की प्रयोज्यता पर संदेह का सामना करना पड़ता है, या यदि किसी अधिनियम को इस एबीएसी नीति का उल्लंघन माना जा सकता है, तो अनुपालन अधिकारी/चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस से परामर्श करें।

13. जबकि एक विस्तृत सूची प्रदान नहीं की जा सकती है, नीचे निर्धारित किए गए सांकेतिक संदिग्ध लेनदेन या ऐसी स्थितियां हैं, जिनके बारे में टीआरएफ कार्मियों को सावधान रहना चाहिए – जो, एक साथ या व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित होने पर, 'रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत' उठाना चाहिए:

i) एक अनुबंध में तृतीय पक्ष के सलाहकार के उपयोग की आवश्यकता होती है जो टीआरएफ की ओर से सरकारी एजेंसियों के साथ काम करते हैं;

ii) व्यवसाय में योग्यता या संसाधनों का अभाव है यानी संभावित व्यावसायिक भागीदार सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम नहीं दिखाई देते हैं। संदिग्ध सेवा अनुबंध, जिसके तहत एक परामर्श समझौते या अन्य व्यवस्था का उपयोग करके भ्रष्ट भुगतान छिपाया गया है, रिश्वत या भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होने के लिए विशिष्ट तौर-तरीके अपनाए गए हैं;

iii) कोई भी संभावित साथी जो सफलता की गारंटी प्रदान करता है या एक वैध तरीके का विवरण प्रदान किए बिना लाइसेंस या अन्य सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने की क्षमता रखने का दावा करता है जिसके द्वारा उन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा;

iv) असामान्य भुगतान पैटर्न या वित्तीय व्यवस्था से जुड़े लेनदेन, तदनुसार, असामान्य रूप से उच्च कमीशन का भुगतान करने का अनुरोध संभावित भ्रष्टाचार का एक चेतावनी संकेत है। कई बैंक खातों में कमीशन जमा करने का अनुरोध, शायद ऑफशोर बैंकों में, अतिरिक्त जांच के लिए भी उचित है;

V) लेन-देन जिसके लिए चालान संसाधित किए जाते हैं लेकिन डिलिवरेबल्स अनुबंध या सेवा स्तर के समझौतों के अनुसार नहीं होते हैं।

vi) उपयुक्त प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लेनदेन।

vii) एक संभावित प्रतिपक्ष जो प्रस्तावित अनुबंध में एक एबीएसी या एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग क्लॉज को स्वीकार करने से इनकार करता है;

viii) पूर्व अधिग्रहण/प्रतिपक्ष देय परिश्रम के आधार पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि संभावित प्रतिपक्ष को रिश्वत देने या अन्य कानूनों का उल्लंघन करने या असामान्य संरचित लेनदेन में लिप्त होने के लिए एक प्रतिष्ठा है;

ix) संभावित प्रतिपक्ष या उसके सहयोगी की परियोजना में प्रदत्त भुगतान या संदिग्ध भूमिका;

X) यदि एक प्रस्तावित प्रतिपक्ष तैयार नहीं है या पेरेटेज का विवरण देने में विफल रहता है या जिसके पास अज्ञात सिद्धांत, सहयोगी या सब-कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिसके साथ वह फीस विभाजित करता है;

xi) एक प्रस्तावित प्रतिपक्ष अपने खातों और रिकॉर्ड के उपयोग से इनकार कर देता है जहां प्रस्तावित अनुबंध के तहत अनुरोध किया जाता है।

14. क्योंकि कोई भी आचार संहिता या नीति हर संभव स्थिति को कवर नहीं कर सकती है, हमारी कंपनी टीआरएफ कार्मियों पर निर्भर करती है जो प्रश्न करने या अपनी चिंता जाहिर करने के लिए अच्छे निर्णय का उपयोग करते हैं और आपनी बात रखते हैं।

IV. अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस

कंपनी समय-समय पर, इस एबीएसी नीति के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस के रूप में पर्याप्त वरिष्ठता, क्षमता और स्वतंत्रता के आधार पर एक कर्मचारी को नामित करेगी ("अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस") और उसी को टीआरएफ कार्मियों को सूचित किया जाएगा। इस एबीएसी नीति के संबंध में रिपोर्ट, शिकायत, संदेह या सरोकार को टीआरएफ कार्मियों द्वारा अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस के समक्ष उठाया जाएगा। इस एबीएसी नीति के किसी भी संदिग्ध उल्लंघन के संबंध में किसी भी टीआरएफ कार्मिक द्वारा उठाए गए प्रश्न या चिंता की जांच अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस द्वारा की जाएगी।

अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस द्वारा रिश्वत या भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित सभी प्रश्नों, चिंताओं या शिकायतों को एथिक्स कमिटी को सूचित किया जाना चाहिए। इस एबीएसी नीति के तहत आवश्यक कोई भी कार्यवाही एथिक्स कमिटी द्वारा की जाएगी। अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर नामित निदेशक को त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस एबीएसी नीति के उल्लंघन के बड़े हुए मामलों को कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") के संज्ञान में लाया जाएगा।

V. परिभाषाएँ

1. रिश्वत

रिश्वत में किसी कार्रवाई के लिए एक प्रस्ताव के रूप में अनुचित लाभ की पेशकश, वादा, देने, मांग या स्वीकृति शामिल है जो कि अवैध, अनैतिक या विश्वास का उल्लंघन है। रिश्वत में अक्सर भुगतान (या भुगतान के वादे) शामिल होते हैं, लेकिन इसमें मूल्य से संबंधित कुछ भी शामिल हो सकता है – भव्य/ अनुचित उपहार, आतिथ्य और मनोरंजन, आंतरिक जानकारी, या यौन संबंध या अन्य एहसान; किसी रिश्तेदार को रोजगार की पेशकश; यात्रा व्यय का बीमा, समारोह का दुरुपयोग; या अन्य महत्वपूर्ण समर्थन; रिश्वत में प्रत्यक्ष रूप के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से एक मध्यस्थ के माध्यम से प्रदान किए गए लाभ शामिल हैं।

2. भारतीय संदर्भ में, पीसीए के तहत रिश्वत के एक अधिनियम के तत्व हैं:

i) कोई भी व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को अनुचित तरीके से सार्वजनिक कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अनुचित लाभ देने या देने का वादा करता है

ii) कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक कर्तव्य के अनुचित प्रदर्शन के लिए ऐसे लोक सेवक को पुरस्कृत करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अनुचित लाभ देने या देने का वादा करता है।

पीसीए के उल्लंघनकर्ता पर जुर्माना और/ या कारावास हो सकता है। देयता का श्रेय एक कंपनी को भी दिया जा सकता है, यदि किसी कर्मचारी/ एजेंट ने ऐसी कंपनी के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए रोजगार के दायरे में कार्य किया हो।

अनुचित प्रदर्शन से आपराधिक विश्वासघात के आरोप लग सकते हैं, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराध है। आईपीसी उकसाने को भी दंडनीय अपराध मानता है। आईपीसी के तहत कोई भी

व्यक्ति जो जानबूझकर अवैध चूक के किसी भी कार्य द्वारा सहयोग, किसी चीज को करके, या किसी व्यक्ति(यों) के साथ किसी चीज को करने के लिए साजिश में शामिल होता है, उकसाने के अपराध का दोषी है। इसके अतिरिक्त, एक व्यक्ति पर आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और / या आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

3. भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार में एक प्राधिकरण की ओर से, या सत्ता में उन लोगों के माध्यम से गलत काम शामिल है, जो नैतिक मानकों के साथ नाजायज, अनैतिक या असंगत हैं।

4. नामित निदेशक

“नामित निदेशक” का अर्थ है एबीएसी नीति का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नामित व्यक्ति।

5. लोक अधिकारी (सरकारी अधिकारी या लोक सेवक)/ विदेशी लोक अधिकारी

भारतीय संदर्भ में, एक सार्वजनिक अधिकारी में निम्नलिखित शामिल होंगे (लेकिन यहीं तक सीमित नहीं होगा):

i) सरकार (घरेलू या विदेशी) का एक विधायी, कार्यकारी या प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति, या सरकार (घरेलू या विदेशी) के विधायी, कार्यकारी या प्रशासनिक कार्यालय के लिए या की ओर से आधिकारिक क्षमता में कार्य करने वाला, चाहे नियुक्त हो या निर्वाचित, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, चाहे वैतनिक हो या अवैतनिक, चाहे उस व्यक्ति की वरिष्ठता के कुछ भी हो;

ii) सरकार की सेवा में या वेतन पर कोई भी व्यक्ति, या किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य के कानून के तहत स्थापित कोई निगम या सरकारी के स्वामित्व या द्वारा नियंत्रित या सहायता प्राप्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया निकाय या किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए फीस या कमीशन के माध्यम से सरकार द्वारा पारिश्रमिक;

iii) कोई भी न्यायाधीश, जिसमें कानून द्वारा डिस्चार्ज करने में सशक्त कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे उसका/उसकी द्वारा, या किसी व्यक्ति के किसी भी निकाय के सदस्य, किसी सहायक कार्य के रूप में;

iv) किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, जो न्याय के प्रशासन से संबंधित हो, जिसमें उस अदालत द्वारा नियुक्त एक लिक्विडेटर, रिसीवर या कमिश्नर शामिल होते हैं;

v) कोई भी व्यक्ति, जो सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करता है, जिसमें सरकारी एजेंसी या सरकारी उद्यम शामिल है, या जो सार्वजनिक सेवा प्रदान करता है, जैसा कि देश के घरेलू कानून में परिभाषित किया गया है और कानून के प्रासंगिक क्षेत्र में लागू किया जाता है; तथा

vi) किसी अन्य व्यक्ति को घरेलू कानून के तहत “सार्वजनिक अधिकारी” के रूप में परिभाषित किया गया है। “राज्य” का अर्थ सरकारों के सभी स्तरों और उपखंडों (यानी, स्थानीय, क्षेत्रीय, या राष्ट्रीय और प्रशासनिक, विधायी या कार्यकारी) से है।

विदेशी सरकारी अधिकारी

गैर-भारतीय एबीएसी कानूनों के तहत, जो “विदेशी अधिकारी” या “विदेशी सरकारी अधिकारी” का गठन करता है, की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है और इसमें सरकार की सभी शाखाओं के अधिकारियों के साथ-साथ सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल होते हैं, चाहे वह अधिकारी एक वेतनमान पर या अवैतनिक कर्मचारी हो। इस शब्द में राजनीतिक दल, पार्टी के पदाधिकारी और सार्वजनिक कार्यालय के उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें राज्य के स्वामित्व वाले या राज्य-नियंत्रित उद्यमों के कर्मचारी या एजेंट शामिल हैं और इसका मतलब किसी भी सरकारी विभाग, एजेंसी की ओर से आधिकारिक क्षमता में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, साधन के रूप में, या निगम, अधिकारी के परिवार के सदस्यों, और साथ ही एक राजनीतिक पार्टी के अधिकारी या राजनीतिक कार्यालय के लिए कोई उम्मीदवार से है।

6. थर्ड पार्टी / बिजनेस एसोसिएट्स

“थर्ड पार्टी / बिजनेस एसोसिएट्स” शब्द में कोई भी व्यक्ति या संगठन शामिल है, जो / जिस कंपनी के संपर्क में आता है या कंपनी के साथ लेन-देन करता है, और इसमें शामिल हैं वास्तविक और संभावित ग्राहक, वेंडर, कंसल्टेंट, अनुचर, एजेंट, सलाहकार, वितरक, व्यावसायिक सहयोगी, साझेदार (शैक्षणिक संस्थानों सहित), ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता जो कंपनी की ओर से काम करते हैं।

7. अनुचित प्रदर्शन

किसी अपेक्षा का उल्लंघन ताकि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ काम करेगा, निष्पक्ष रूप से या अनुचित प्रदर्शन के लिए विश्वास के अनुसार। इसमें प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए सहमत होना, स्वीकार करना, या प्राप्त करने का प्रयास करना, कार्य ठीक से निष्पादित करने के लिए अनुचित लाभ भी शामिल होगा।

VI-सम्बंधित क्षेत्र – जहां भ्रष्टाचार जोखिम सबसे अधिक है

1. कई तरह की गतिविधियों में भ्रष्टाचार हो सकता है। यह आमतौर पर वित्तीय लाभ या अन्य व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए, रिश्वत का उद्देश्य व्यवहार को प्रभावित करना है – वे धन के रूप में हो सकते हैं, एक विशेषाधिकार, मूल्य की वस्तु, एक लाभ, या किसी व्यक्ति को आधिकारिक या सार्वजनिक क्षमता में प्रभावित करने का वादा मात्र। आमतौर पर इसमें, दो लोग शामिल होते हैं और दोनों को लाभ होता है। रिश्वत के उदाहरणों में कोई किकबैक, ऋण, शुल्क या इनाम के रूप में नकद की पेशकश या प्राप्त करना, या अनुचित प्रभाव डालने के लिए डिजाइन की गई सहायता, दान, या मतदान करना शामिल है।

2. व्यापार के क्षेत्र जहां भ्रष्टाचार, रिश्वत सहित, सबसे अधिक बार हो सकते हैं, में शामिल हैं:

- i) उपहार, मनोरंजन और आतिथ्य;
- ii) सुविधा भुगतान;
- iii) खरीद प्रक्रिया;
- iv) राजनीतिक, सामुदायिक या धर्मार्थ योगदान;
- v) कर्तव्यों का अनुचित प्रदर्शन;

vi) भर्ती के अवसरों के संबंध में सहयोग।

VII. उपहार, मनोरंजन तथा आतिथ्य

1. “उपहार” क्या है?

एक उपहार वह है जिसका कोई मूल्य हो और जिसमें किसी भी प्रकार का मौद्रिक या गैर-मौद्रिक लाभ शामिल हो। इसमें नकदी, आभूषण, कलाकृति और उनके समकक्ष कोई भी मूर्त वस्तु शामिल हैं, लेकिन छूट, सेवाओं, ऋण, एहसान, विशेष सुविधा, लाभ और अधिकार जैसी अमूर्त वस्तुएं जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं, भी शामिल हैं। एक “उपहार” में भोजन, मनोरंजन, आतिथ्य भी शामिल हैं, किसी भी परिस्थिति में किसी भी टीआरएफ कर्मियों को कभी भी किसी भी व्यक्ति या कंपनी से उपहार नहीं लेना चाहिए, जो कंपनी के साथ काम कर रही है, या करना चाहती है। ध्यान दें कि भोजन, मनोरंजन और आतिथ्य भी एक उपहार के रूप में माने जा सकते हैं, जब तक कि वे मूल्य और आयोजन के उचित सीमा के भीतर नहीं आते हैं।

2. उपहार और आतिथ्य पर नीति

i) उपहार, मनोरंजन, और आतिथ्य स्वीकार्य हो सकता है यदि वे उचित हैं, आनुपातिक हैं, विश्वसनीय हैं और कंपनी की नीतियों के अनुपालन के अनुरूप हैं। टीआरएफ कर्मियों को हमारी कंपनी की उपहार और आतिथ्य नीति से अवगत होना चाहिए। इस संबंध में किसी भी संदेह को अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए।

ii) व्यापार बढ़ाने या हासिल करने के लिए उपहार देना अनैतिक है और, कई मामलों में, अवैध है। किसी भी दुविधा के मामले में अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस से परामर्श लेना चाहिए। यदि आपका अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस विवादित है, तो नामित निदेशक से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

iii) ध्यान दें कि यह एबीएसी नीति हर जगह लागू होती है चाहे टीआरएफ कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से उपहार दिया जाता है, या यदि कंपनी में किसी विशिष्ट समूह या विभाग के लाभ के लिए कोई उपहार दिया जाता है (किसी पार्टी या कार्यक्रम में वितरित किए जाने वाले पुरस्कार के रूप में)। कंपनी द्वारा जारी सभी नीतियों के अनुपालन में और लागू कानून के अनुसार, प्राप्त हुए सभी उपहारों को तुरंत अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस को सूचित किया जाना चाहिए, यदि वे व्यवसाय के सामान्यतया सम्बन्ध में नहीं हैं। नकद या नकद समकक्षों के रूप में उपहार कभी स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए।

iv) टीआरएफ कर्मियों किसी सरकारी या अन्य सार्वजनिक अधिकारी को मामूली उपहार तभी दे सकते हैं, जब वह उचित हो, स्थानीय कानून द्वारा अनुमत हो और हमारी कंपनी की उपहार और आतिथ्य नीति के अनुसार हो।

v) टीआरएफ कर्मियों को वर्तमान या भावी ग्राहकों, उनके कर्मचारियों या एजेंटों या किसी भी व्यक्ति (जिसमें सरकारी अधिकारी तक सीमित नहीं हैं) के साथ व्यापार या व्यवसाय के सामान्य नीति के बाहर उपहार देने या एहसान देने से प्रतिबंधित किया जाता है, जिसके साथ कंपनी या उसके व्यावसायिक सहयोगियों की भागीदारी होती है, संविदात्मक संबंध, या एक समझौते पर बातचीत करने का इरादा है जो कंपनी की उपहार और आतिथ्य नीति के अनुपालन में नहीं है। टीआरएफ कर्मियों को व्यवसाय के दौरान किसी से भी व्यक्तिगत लाभ को स्वीकार नहीं करना चाहिए और न ही अपने उद्देश्य मूल्यांकन से समझौता करना चाहिए।

vi) कंपनी यह मानती है कि कुछ देशों में उपहार और/ या आतिथ्य प्रदान करना और प्राप्ति व्यवसाय करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हालाँकि, स्थानीय रीति-रिवाजों के बावजूद, आतिथ्य का अत्यधिक या अनुचित स्तर या उपहारों का मूल्य रिश्वत हो सकता है यदि अनुचित व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्राप्त किया गया हो।

vii) यह निर्धारित करना टीआरएफ कार्मियों की जिम्मेदारी है कि उपहार या आतिथ्य का स्तर उचित है या नहीं। एक सामान्य दिशानिर्देश के रूप में, उपहार या आतिथ्य देना या प्राप्त करना स्वीकार्य हो सकता है यदि यह निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है:

क. यह नकद या नकद समकक्ष में प्राप्त या पेश नहीं किया गया हो।

ख. उद्देश्य और सहायक विवरण को स्पष्ट और पहचान योग्य तरीके से प्रलेखित किया जा सकता है ताकि कोई भी तीसरा पक्ष इसे आसानी से समझ सके।

ग. यह टीआरएफ की एबीएसी नीति के अनुरूप है।

घ. यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 और भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 का उल्लंघन नहीं करता हो।

ड०. यह नाममात्र मूल्य का है (जैसा कि उपहार और आतिथ्य नीति में परिभाषित किया गया है) और निर्णय को प्रभावित करने या इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बनाया गया है।

च. यह टीआरएफ के प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकृत और अनुमोदित है।

उपरोक्त के अलावा, प्रत्येक टीआरएफ कर्मी को कंपनी के उपहार और आतिथ्य नीति में निर्धारित विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुपालन में होना आवश्यक है, जिसमें अधिकतम मूल्यों के लिए अनुमति शामिल है।

VIII. अनुचित लाभ देने के लिए मजबूर किया

1. जब भी कंपनी रिश्वत या किकबैक पर रोक लगाने वाली अपनी नीति के लिए प्रतिबद्ध रहती है, यह मानती है कि निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसमें एक अधिकारी ऐसे अनुचित लाभ हासिल करने के लिए तुरंत धमकी देता है या अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा एवं संरक्षा से समझौता करता है।
2. ऐसी परिस्थितियों में किया गया कोई भी भुगतान, जहां व्यक्ति अनुचित लाभ देने के लिए मजबूर है, ऐसे भुगतान के 24 घंटे के भीतर अनुपालन अधिकारी/चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
3. चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस कंपनी सचिव/ कानूनी विभाग को सूचित करेंगे, जो इस तरह के भुगतान की तारीख से सात दिनों के भीतर कानून प्रवर्तन प्राधिकरण या जांच एजेंसी को मामले की सूचना देंगे।
4. मौजूदा मामलों की रिपोर्टिंग: यह प्रत्येक टीआरएफ कर्मी की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी मौजूदा सुविधा समझौते या सुविधा शुल्क के भुगतान से संबंधित क्लॉज या किसी भी मौजूदा समझौते में ऐसी अन्य व्यवस्थाओं की सूचना अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस को दें।

IX—खरीदी प्रक्रिया

टीआरएफ कर्मी को कंपनी की प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और आपूर्तिकर्ता के चयन के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पालन करना चाहिए। ये प्रक्रिया सेंट्रल प्रोक्योरमेंट टीम के साथ उपलब्ध हमारे प्रोक्योरमेंट मैनुअल में निहित है और प्रत्येक प्रासंगिक टीआरएफ कर्मी को इस मैनुअल से खुद को परिचित करना होगा। प्रोक्योरमेंट नियमावली में आवश्यक नियत परिश्रम, शक्तियों के प्रत्यायोजन और अनुमोदन अनुरोध तंत्र सहित वेंडर की नियुक्ति के नियम और प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रदायक का चयन कभी भी उपहार, आतिथ्य या भुगतान की प्राप्ति पर आधारित नहीं होना चाहिए। जब आपूर्तिकर्ता चयन उत्पादों या सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक औपचारिक, संरचित निमंत्रण है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने आंतरिक नियंत्रणों का समर्थन करते हुए प्रलेखन बनाए रखें। टीआरएफ कर्मी को हमारी कंपनी की प्रोक्योरमेंट प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए और हमेशा इसका अनुपालन करना चाहिए।

X—ग्राहकों के साथ बातचीत

1. बिक्री पक्ष रिश्वत

रिश्वत बिक्री के पक्ष में भी हो सकती है, उदाहरण के लिए एक कर्मचारी एक ग्राहक या वितरक के मुकाबले दूसरे को पसंद करने के लिए रिश्वत स्वीकार कर सकता है, फिर से अन्य ग्राहकों के साथ संबंधों के लिए संभावित हानिकारक परिणाम तथा, साथ ही हमारी कंपनी के लिए कानूनी परिणाम भी हो सकता है।

2. ग्राहकों और वितरकों हेतु पालिसी

i) कंपनी अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को या वितरकों के माध्यम से बेचती है। जहाँ टीआरएफ कर्मी ग्राहकों या वितरकों के साथ संबंधों के लिए जिम्मेदार है, वह हमारी कंपनी की उपहार और आतिथ्य नीति के अनुसार केवल ग्राहकों के लिए ग्राहकों या वितरकों को ध्यान में रख सकता है।

ii) व्यवसाय के सामान्य कार्यप्रणाली में, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में ग्राहकों को छूट प्रदान की जाती है। हालांकि यह सामान्य उद्योग अभ्यास है, विस्तृत प्रकार की व्यवस्थाएं और उनसे जुड़ी सापेक्ष जटिलता पैदा हो सकती हैं और इसमें कुछ हद तक जोखिम है कि इस तरह की व्यवस्था का उपयोग व्यक्तिगत ग्राहक प्रतिनिधियों के लिए अनुचित उत्पीड़न को छिपाने के लिए किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, तथ्य का चयनात्मक प्रसार कि उन्हें निः शुल्क उत्पाद प्रदान किए जा रहे हैं), और परिणामस्वरूप ऐसी व्यवस्थाओं की तैनाती में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।

XI— थर्ड-पार्टी एजेंटों, कंसल्टेंट्स और अन्य बिचौलियों का उपयोग

1. हमारी कंपनी को गंभीर और अक्सर अपूरणीय परिणामों के साथ, तीसरे पक्ष द्वारा अपनी ओर से भुगतान किए गए रिश्वत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, भले ही हमारी कंपनी ने इन भुगतानों को अधिकृत नहीं किया हो। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम एजेंटों और अन्य ऐसे तीसरे पक्षों के चयन में सावधान रहें, यानी वे लोग या कंपनियां जो हमारी ओर से काम करते हैं।

2. आपूर्तिकर्ताओं, एजेंटों, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं, बिचौलियों, और सलाहकारों के साथ सभी व्यवहार, ईमानदारी के उच्चतम मानकों और सभी संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुपालन में किए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी तीसरे पक्ष हमारे मूल्यों और हमारे नैतिक मानकों को साझा करेंगे।

3. किसी भी तीसरे पक्ष को संलग्न करने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

i) तीसरे पक्ष के अनुबंधों के लिए मानक प्रारूप जिनमें कंसल्टेंट, सलाहकार, ठेकेदार, सेवा प्रदाता, बिचौलिये, आपूर्तिकर्ता शामिल हैं, उन्हें अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसेलर एवं विजिलेंस/ मानव संसाधन विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा;

ii) टीआरएफ कर्मियों को केवल अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसेलर एवं विजिलेंस द्वारा प्रदान किए गए स्वरूपों का उपयोग एजेंटों के साथ किसी भी समझौते में करने के लिए करना चाहिए। प्रारूप का कोई भी विचलन अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसेलर एवं विजिलेंस/ मानव संसाधन विभाग से लिखित अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा;

iii) किसी भी तीसरे पक्ष के चयन की अंतिम मंजूरी सहित संलग्न करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए और अद्यतित रिकॉर्ड को बनाए रखा जाना चाहिए;

iv) अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसेलर एवं विजिलेंस /मानव संसाधन विभाग के साथ उपलब्ध तृतीय पक्ष उद्यम प्रश्नावली के अनुसार उद्यम का संचालन करना, और कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए किए गए ऐसे उद्यम के रिकॉर्ड और दस्तावेज को बनाए रखना;

v) तीसरे पक्ष से औपचारिक प्रतिबद्धता (लिखित में) टाटा आचार संहिता, एबीएसी नीति के नवीनतम संस्करण और कंपनी द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचार पर बनाई गई किसी भी अन्य नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मांगी जाएगी;

vi) हमारे अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसेलर एवं विजिलेंस के परामर्श से अनुबंधों में उपयुक्त रिश्वतखोरी विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधानों को शामिल किया गया है

XII— सरकारी सहभागिता पर नीति

1. धारा I, टाटा आचार संहिता 2015 के खंड 2 में कहा गया है, “हम सुशासन को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक तरीके से सरकार और नियामकों के साथ जुड़ते हैं। हम अपने संहिता के अनुरूप तरीके से उनके साथ हमारी बातचीत का संचालन करते हैं।” सरकार के साथ कारोबार करना अत्यधिक विनियमित है और आमतौर पर वाणिज्यिक बाजार की तुलना में कड़े नियमों का पालन अपेक्षित है। यदि आप सरकारी अधिकारियों या सरकारी स्वामित्व वाली (या आंशिक रूप से स्वामित्व वाली) कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आपके पास लागू कानूनों और नियमों को जानने और उनका पालन करने का एक विशेष कर्तव्य है, ईमानदारी के उच्चतम मानकों का पालन करें और यहां तक कि असंगतता की उपस्थिति से बचें। हमारी कंपनी सरकार, सरकारी अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के साथ कई रूपों में बातचीत कर सकती है, जैसे: सांविधिक या विनियामक अनुमोदन, एक आपूर्तिकर्ता के रूप में, ग्राहक के रूप में, आदि के लिए, टीआरएफ कर्मियों को हमेशा सत्य, सटीक, सहकारी होना चाहिए। किसी भी सरकार, सरकारी अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के समक्ष हमारी कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए विनम्र होना चाहिये।

2. व्यावसायिक आतिथ्य और सरकारी अधिकारियों को प्रदान की गई यात्रा के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कंपनी उचित यात्रा और आवास संबंधी खर्च या लागत से संबंधित सरकारी अधिकारियों को भुगतान या प्रतिपूर्ति कर सकती है यदि वह सम्बंधित हो:

i) कंपनी और सरकार के बीच एक एमओयू, अनुबंध या समझौते में प्रवेश करना, जिसमें सरकारी अधिकारी प्रतिनिधित्व करता है।

ii) प्रत्येक मामले में, यात्रा के उद्देश्य को पहले से परिभाषित और अनुमोदित किया जाना चाहिए और जो प्रतिपूर्ति दस्तावेज और पत्राचार रिकॉर्ड का समर्थन करता हो, यह निर्भर करता है कि प्रामाणिक और वास्तविक है, तथा सभी का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

iii) अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार या प्रदर्शन (बशर्ते कि यह सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष रूप से नहीं है)

नकद भुगतान या प्रतिपूर्ति से बचा जाना चाहिए और यात्रा और आवास संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति सीधे सरकारी अधिकारी के बजाय सरकारी संस्था या एजेंसी को भुगतान की जानी चाहिए।

3. हमारी कंपनी और कर्मचारी तब तक, जब तक कि लागू कानून और हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ('सीएसआर') नीति के तहत अनिवार्य न हो, किसी भी सरकारी एजेंसी या उसके प्रतिनिधि को सीधे या बिचौलियों के माध्यम से किसी भी कंपनी के फंड या संपत्ति को दान के रूप में नहीं पेश करेंगे या देंगे। हालाँकि, उदाहरण के लिए, भारतीय संदर्भ में, हमारी कंपनी के फंड्स या प्रॉपर्टी को प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करना या आपदा राहत के लिए दान करना हमारी कंपनी की सीएसआर पॉलिसी के अनुसार हो सकता है। कंपनी सरकारी खरीद नियमों का पालन करेगी और सरकारी एजेंसियों के साथ अपने सभी व्यवहारों में पारदर्शी होगी।

4. सरकारी अधिकारियों के संबंध में कोई भी उपहार, आतिथ्य या मनोरंजन कंपनी की उपहार और आतिथ्य नीति के अनुपालन में होना चाहिए।

Xiii. राजनीतिक समुदाय और धर्मार्थ योगदान के लिए नीति

1. टाटा आचार संहिता 2015 के धारा I, के खंड 1 में कहा गया है: "हम जिन देशों में काम करते हैं, उनके संविधान और शासन प्रणाली के अनुसार कार्य करेंगे। हम सार्वजनिक चुनावों के परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते हैं, न ही सरकार की किसी प्रणाली को कमजोर या परिवर्तित करना चाहते हैं। हम राजनीतिक कार्यालय के लिए किसी विशिष्ट राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे आचरण को किसी भी राजनीतिक निकाय या व्यक्ति के साथ पारस्परिक निर्भरता/ सहयोग के रूप में व्याख्या की जा सकने वाली किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए, और हम किसी भी विशिष्ट राजनीतिक दल, उम्मीदवार या अभियान को दान के रूप में किसी भी कंपनी के फंड या संपत्ति या अन्य संसाधनों की पेशकश नहीं करते हैं।

स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करने के लिए हमारे निदेशक मंडल द्वारा विचार किए गए किसी भी वित्तीय योगदान को केवल भारत में प्रगतिशील चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से, या भारत के बाहर एक समान पारदर्शी, विधिवत, गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन साधन द्वारा बढ़ाया जाएगा। "

2. टीआरएफ कर्मियों को टीसीओसी के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित और लागू कानून के अनुपालन में राजनीतिक योगदान के अलावा हमारी कंपनी के धन, संपत्तियों या अन्य संसाधनों से राजनीतिक योगदान करने की अनुमति नहीं है। हमारी कंपनी आपातकालीन जरूरतों और आपदा राहत सहित

मानवीय जरूरतों और अन्य कारकों के लिए चैरिटेबल दान कर सकती है। इस तरह के योगदान हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुपालन में किए जाने चाहिए। हालाँकि,

यह महत्वपूर्ण है कि हम दान करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वे बिना मांग या अपेक्षा के बनाए जाएंगे, ताकि हमारे दान को प्रलोभन न माना जाए, क्योंकि यह भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों, टाटा आचार संहिता और इस एबीएसी नीति का उल्लंघन होगा। इस प्रकार, कंपनी द्वारा सामुदायिक परियोजनाओं या दान में योगदान विश्वनीय, हमारे टीसीओसी, इस एबीएसी नीति और अन्य सभी प्रासंगिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में किए जाने की आवश्यकता है।

3. ऐसा योगदान करने से पहले, टीआरएफ कर्मी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

i) इस तरह के दानार्थ योगदान किसी लाभ के अपेक्षा में नहीं है और ना ही, एक व्यवसाय सौदा हासिल करने के उद्देश्य से।

ii) योगदान हमेशा दान के लिए किया जाता है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सिवाय इसके कि हमारी कंपनी की सीएसआर नीति के अनुरूप प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को सीधे दान या अनुदान प्रदान किया जाए।

iii) योगदान ऐसी संस्थाओं को दिया जाना चाहिए जहां योगदान का अंतिम उपयोग ज्ञात है और / या नियंत्रित है।

iv) योगदान केवल दानार्थ संस्थाओं के लिए किया जाना चाहिए जो देश के कानूनों के तहत पंजीकृत हैं।

V) जहां तक संभव हो, चैरिटेबल संगठनों की पृष्ठभूमि की जांच सभी मामलों में विशेष रूप से सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि यह दान एन्टी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों, आतंकवाद रोधी कानूनों और अन्य लागू कानून के उल्लंघन में अवैध गतिविधियों को निधि देने के लिए एक वाहक के रूप में कार्य नहीं करता है।

vi) केवल ऐसे चैरिटेबल योगदान दिए जाएंगे जो स्थानीय कानूनों और प्रथाओं के तहत कानूनी और नैतिक हों।

4. स्पांसरशिप का हमारी कंपनी द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामुदायिक /व्यावसायिक गतिविधियों से निकटतम संबद्धता है। इनमें शैक्षिक छात्रवृत्ति से लेकर स्थानीय खेल टीमों को प्रायोजित करने तक शामिल हो सकते हैं। मुआवजा के किसी भी तत्व के बिना वास्तविक व्यवसाय या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए कोई भी प्रायोजन होना चाहिए। इस तरह के किसी भी प्रायोजन को पारदर्शी, विधिवत अनुमोदित और उचित रूप से प्रलेखित होना चाहिए।

5. हमारी कंपनी के बोर्ड ने दान, प्रायोजन और राजनीतिक योगदान देने के लिए एक बेहद शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल को मंजूरी दी है। प्रासंगिक टीआरएफ कर्मी को ऐसे प्रतिनिधिमंडलों के साथ खुद को परिचित करना चाहिए और हमेशा इसके दायरे में कार्य करना चाहिए।

XIV . विलय और अधिग्रहण के लिए नीति

1. एक कंपनी जो विलय या अधिग्रहण से पहले लक्षित कंपनी की रिश्त और भ्रष्टाचार निरोधक प्रक्रियाओं के अनुपालन के बारे में पर्याप्त देय परिश्रम नहीं करती है, उसे कानूनी और व्यावसायिक दोनों जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी कंपनी किसी भी व्यवसाय

की प्रतिष्ठा और अखंडता पर उचित और तर्कसंगत देयता का कार्य करेगी, जिसमें वह निवेश करती है।

2. हमारी कंपनी, जब यह एक संभावित लक्ष्य प्राप्त कर रही है, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगी, कंपनी मानकों के तहत तीसरे पक्ष का पुनर्मूल्यांकन करेगी और जहां उपयुक्त होगा, नए व्यावसायिक इकाइयों पर ऑडिट का संचालन करेगी।

XV. हितों का टकराव

टीसीओसी 2015 के धारा डी, उपधारा 28 के जरिये 24, हितों के टकराव की संभावित स्थितियों के आकलन पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। हितों में टकराव को कोई भी मामला, चाहे यह कथित या संभावित हो, की सूचना अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस को दी जानी चाहिए, जिसके बाद इसे नामित निदेशक और प्रबंध निदेशक को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में आगे की प्रक्रिया निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

XVI. खाता, अभिलेख, और आंतरिक नियंत्रण आवश्यकताएँ

1. हमारी कंपनी के सफल संचालन के लिए साथ ही हमारे कानूनी और नियामक दायित्वों को पूरा करने की हमारी क्षमता की भी सटीक और पूर्ण रिकॉर्डकीपिंग आवश्यक है। प्रत्येक टीआरएफ कर्मी पर सभी कार्यों में सटीक, पूर्ण और ईमानदार होने की जिम्मेदारी है जो वह सूचना देता/देती है, और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड करता/करती है, साथ ही इसमें हमारी कंपनी के सभी आंतरिक और बाहरी दस्तावेजों में जिसमें लेखांकन रिकॉर्ड, टाइम कार्ड, व्यय रिपोर्ट, चालान, पेट्रोल रिकॉर्ड, सुरक्षा रिकॉर्ड, व्यापार रिकॉर्ड, प्रदर्शन मूल्यांकन, आदि शामिल हैं।
2. व्यय कभी भी छिपे या उद्देश्यपूर्ण रूप से गलत नहीं होने चाहिए। कई गंभीर वैश्विक रिश्तों और भ्रष्टाचार परिदृश्यों में गलत रिकॉर्ड कीपिंग पाया जाता है। इसे रोकने के लिए, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों को आम तौर पर नकदी और बैंक खातों सहित लेनदेन के लिए विस्तृत और सटीक लेखांकन रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। सभी टीआरएफ कार्मियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सटीक खाता रिकॉर्ड और वित्तीय रिपोर्टिंग बनाए रखें।
3. सभी व्यावसायिक इकाइयों और संस्थाओं को हमारे लेनदेन के आंतरिक नियंत्रण और निगरानी की एक प्रभावी प्रणाली को बनाए रखना चाहिए। हमारी नीतियों में कुछ निगरानी नियंत्रणों की पहचान की जाती है, विशेष रूप से यात्रा और मनोरंजन व्यय की मंजूरी के संबंध में। यह टीआरएफ कार्मियों की जिम्मेदारी है कि वह नियंत्रण प्रक्रियाओं के बारे में जानकार हो और अनुपालन सुनिश्चित करते हों। टीआरएफ कार्मियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आतिथ्य, उपहार या धर्मार्थ दान से संबंधित सभी व्यय के दावे लागू नीतियों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं और विशेष रूप से व्यय के कारण का रिकॉर्ड रखते हैं।
4. टीआरएफ कार्मियों को सभी वित्तीय रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता होती है और इसमें उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण होते हैं जो तीसरे पक्ष को भुगतान करने या उनसे भुगतान प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक कारण का प्रमाण देगा।
5. थर्ड पार्टी के साथ काम करने से संबंधित सभी खातों, चालान, ज्ञापन और अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों, जैसे कि ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक संपर्कों, को सटीकता और पूर्णता के साथ तैयार और उनका रखरखाव किया जाना चाहिए। हमारे रिकॉर्ड प्रबंधन और अवधारण नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि हम उन रिकॉर्ड्स को बनाए रखें जिनकी हमें अपनी कानूनी, कर और

नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में आवश्यकता है और उन अभिलेखों का सुरक्षित निपटान करना है जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या वैधानिक अवधारण अवधि से परे हैं। टीआरएफ कार्मिक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे सूचनाओं का निपटान नहीं किया जाना है जो वर्तमान या प्रासंगिक हो, या मुकदमेबाजी की धमकी देने से संबंधित या शर्त के अधीन हो जब तक कि वे संबंधित विभाग द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित रूप में अधिकृत न हों।

6. टीआरएफ कर्मी जो वित्तीय कदाचार को देखते या संदेह करते हैं, उन्हें तुरंत अपने सुपरवाइजर्स को सूचित करना चाहिए और अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस से संपर्क करना चाहिए।

XVII. संचार और अनुपालन प्रशिक्षण

1. यह सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारी कंपनी के पास एबीएसी जोखिमों और खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हमारी एबीएसी नीति, टीआरएफ कार्मियों के दायित्वों, कंपनी प्रक्रियाओं और उपायों के संबंध में सभी व्यावसायिक इकाइयों को नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

2. प्रशिक्षण या तो ऑन-लाइन या व्यक्तिगत रूप से या दोनों के संयोजन में आयोजित किया जाएगा और अनुपालन अधिकारी/चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। प्रशिक्षण को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होगी। टीआरएफ कार्मियों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक 'एक बार' के कार्यक्रम के रूप में नहीं मानना चाहिए और टीआरएफ कार्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित अंतराल पर बार-बार प्रशिक्षण लेकर खुद को अपडेट रखें या हर बार प्रशिक्षण कार्यक्रम अपडेट किया जाए।

3. नए जॉइन करने वालों (जैसा कि लागू हो) को प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और पुष्टि करनी चाहिए कि उन्होंने इस पॉलिसी को अपनी ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में समझा है। चुनिंदा कर्मचारियों जैसे सरकार के साथ काम करने वाले, फाइनांस एंड अकाउंट्स, वरिष्ठ प्रबंधन और प्रासंगिक जोखिम वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। एबीएसी नीति के अनुपालन पर टीआरएफ कार्मियों से समय-समय पर पुष्टि की जानी चाहिए।

4. कर्मचारी समूहों में से प्रत्येक के लिए प्रशिक्षण की सीमा और प्रकृति को मानव संसाधन समूह के परामर्श से अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

5. हमारी कंपनी थर्ड पार्टी और अस्थायी श्रमिकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, अगर यह परिकल्पना की गई है कि उन्हें दिए गए वर्क प्रोफाइल इस एबीएसी नीति के अनुसार एक महत्वपूर्ण जोखिम वहन करती है।

XVIII. समस्याओं को कैसे रखें

प्रत्येक टीआरएफ कर्मी को किसी भी रिश्वतखोरी के मुद्दे या कदाचार के संदेह या भ्रष्ट व्यवहार के किसी भी मामले या इस एबीएसी नीति या लागू एबीएसी नीति के किसी भी उल्लंघन की सूचना जल्द से जल्द देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि वह अनिश्चित है कि क्या कोई विशेष अधिनियम रिश्वत या भ्रष्टाचार है या नहीं, या यदि उसके पास कोई अन्य प्रश्न हैं, तो उन्हें अपने विभाग के चीफ के समक्ष उठाया जाना चाहिए और किसी भी हितों के टकराव के मामलों में सीधे कंपनी के अनुपालन अधिकारी/चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस के संज्ञान में लाना चाहिए।

टीआरएफ कर्मी टीसीओसी के तहत या 'व्हिसल-ब्लोअर नीति' के माध्यम से अनुपालन अधिकारी/चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस के पास समस्या या प्रश्न उठा सकते हैं, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों

और अन्य हितधारकों को आंतरिक रूप से गंभीर चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है। कोई भी कर्मचारी, जो विश्वसनीय नहीं है, एबीएसी नीति के उल्लंघन की रिपोर्ट करता है, उसे उत्पीड़न, प्रतिशोध या प्रतिकूल रोजगार परिणाम भुगतना होगा। व्हिसल-ब्लोअर की पहचान को कानून के तहत संभव और अनुमत सीमा तक गोपनीय रखा जाएगा।

XIX. उत्तरदायित्व और दंड

1. हमारी कंपनी भ्रष्टाचार और रिश्वत के विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। इस एबीएसी नीति के किसी भी उल्लंघन को एक गंभीर मामला माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सेवा समाप्ति, लागू कानून और कर्मचारी की रोजगार की शर्तों के अनुरूप होना शामिल है।
2. रिश्वत एक दंडनीय अपराध है। दोषी टीआरएफ कर्मी जवाबदेह होगा/होगी कि उसने खुद रिश्वत दिया है या किसी को अधिकृत किया है, सहायता की है, या किसी और के साथ इस एबीएसी नीति या भ्रष्टाचार रोधी/ रिश्वत रोधी कानून का उल्लंघन किया है। कानून का उल्लंघन करने के लिए सजा एक व्यक्ति के रूप में यदि दोषी टीआरएफ कर्मी के खिलाफ है और इसमें कारावास, प्रोबेशन और महत्वपूर्ण मौद्रिक जुर्माना शामिल हो सकता है जिसका भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, पीसीए के तहत सजा 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच होती है, साथ ही जुर्माना भी। आदतन अपराधियों के कुछ मामलों में 7 साल की के कारावास की सजा हो सकती है। अधिकतम देय जुर्माना की कोई सीमा नहीं है।
3. इस एबीएसी नीति के उल्लंघन के मामले में, अनुपालन अधिकारी/चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस उचित कदम उठाएंगे:
 - i) एक जांच दल का गठन करना: किसी शिकायत की जांच के लिए सही ज्ञान और निष्पक्षता के साथ तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस को नियुक्त किया जा सकता है।
 - ii) जांच करना: इस एबीएसी नीति के एक संदिग्ध उल्लंघन से संबंधित प्रत्येक जांच अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस द्वारा उपरोक्त उप-खंड (क) के तहत निर्धारित अन्य सदस्यों के साथ की जाएगी। इस तरह की जांच का उद्देश्य संबंधित प्रतिभागियों के साथ साक्षात्कार और/ या दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से तथ्यों का निर्धारण करना है। इस तरह की जांच टीम सूचना, रिकॉर्ड आदि की लिखित मांग करेगी, जो कथित अपराध से संबंधित है, जिसमें कोई सीमा शामिल नहीं है: (अ) कथित अपराध से संबंधित सभी रिकॉर्ड का एक्सेस (जैसे टेलीफोन रिकॉर्ड, इंटरनेट सर्विस रिकॉर्ड और/या कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में संग्रहीत रिकॉर्ड या अन्य सूचना भंडारण उपकरण); और/या (ब) नामित व्यक्ति द्वारा लिखित बयान, यदि कोई हो, तो उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में विस्तार से पता लगाना, जो भी टीआरएफ कर्मी कथित अपराध के संबंध में जानते हैं। प्रत्येक टीआरएफ कर्मी जांच दल के साथ सहयोग करेंगे और सूचना के सभी अनुरोधों का तुरंत जवाब देंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि जांच दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा और केवल ऐसे व्यक्तियों के साथ साझा किया जाएगा जिन्हें लागू कानून या कंपनी की नीतियों के तहत "जानने की आवश्यकता है", उदाहरण के लिए रिपोर्ट की एक प्रति नामित निदेशक के साथ साझा की जा सकती है।
 - iii) सुधारात्मक कार्यवाही: यदि आवश्यक हो तो, सुधारात्मक कार्यवाही कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्रबंधकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित किए जाएंगे या सुझाए जाएंगे

iv) दंड: अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस द्वारा इनपुट पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो तो, और नामित निदेशक के पास उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार होगा, जिसमें निलंबन और इस तरह के दोषी टीआरएफ कर्मियों की सेवा को समाप्त करना शामिल है। अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस भी सुझाव देंगे यदि उल्लंघन संभावित रूप से आपराधिक है और इसे अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। आपराधिक या विनियामक कार्यवाही में टीआरएफ कर्मियों संबंधित प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। दोषी टीआरएफ कर्मियों द्वारा दोष की प्रकृति और पैमाने के आधार पर, अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स काउंसिलर बोर्ड को यह भी सिफारिश कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में उपलब्ध कानूनों के तहत उपायों को लागू करने के लिए इस तरह के टीआरएफ कर्मियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कार्यवाही शुरू करे।

4. सभी आंतरिक जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित टीआरएफ कर्मियों को जांच टीम के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए।

XX. आवधिक समीक्षा और मूल्यांकन

1. हमारी कंपनी की आंतरिक ऑडिट फंक्शन प्रभावशीलता की निगरानी करेगी और इसकी उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता को देखते हुए इस एबीएसी नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।
2. हमारी कंपनी के पास समय-समय पर इस पॉलिसी में बदलाव करने और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

आलोक कृष्णा प्रबंध निदेशक

Disclaimer

"The original version of this Policy is in English language. This Hindi version is a mere translation for convenience only and shall not affect the interpretation of original. For all purposes including any discrepancies (if any) between the two versions, the English version shall prevail."

अस्वीकरण

"इस नीति का मूल संस्करण अंग्रेजी भाषा में है। यह हिंदी संस्करण केवल सुविधा के लिए अनुवाद है और मूल की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेगा। दो संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति (यदि कोई है) सहित सभी उद्देश्यों के लिए, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।"